भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1026
गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पवन ऊर्जा में क्षमता वृद्धि</u>

1026. श्रीमती राम्या हरिदासः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस वर्ष पवन ऊर्जा में कम वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हेतु 4500 मेगावाट की पवन ऊर्जा की नीलामी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पवन और सौर ऊर्जा दोनों के प्रशुल्क में कमी लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) 2018-19 के दौरान संस्थापित पवन विद्युत क्षमता 1480 मेगावाट थी जो पिछले वर्षों अर्थात 2017-18 में 1865 मेगावाट और 2016-17 में 5502 मेगावाट की तुलना में कम है । क्षमता में कम वृद्वि का कारण पवन विद्युत क्षेत्र में फीड-इन-टैरिफ व्यवस्था से पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया तंत्र में परिवर्तन होना और कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले आना है । अब बोली प्रक्रिया को नियमित कर दिया गया है और प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से प्रदान की गई परियोजनाओं का प्रवर्तन शुरू हो गया है तो क्षमता वर्धन में भी तेजी आई है । अब तक चालू वित्त वर्ष के दो महीनों अर्थात् 2019-20 के अप्रैल और मई में 463 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की जा चुकी है । इसके अलावा लगभग 8589.9 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयाधीन हैं ।

(ख) यूटीलिटी संस्थाओं से मांग के आधार पर सेकी विभिन्न किश्तों में निविदाएं जारी करता है, जिनका आकार आमतौर पर 1200 मेगावाट से 2000 मेगावाट तक भिन्न- भिन्न होता है ।

(ग) सरकार निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्याह्रास लाभ, पवन विद्युत जनरेटर के कुछ पुर्जों पर रियायती सीमा शुल्क में छूट प्रदान करके पवन

विद्युत परियोजनाओं के क्षमता वर्धन को बढ़ावा दे रही है । इसके अलावा 31 मार्च, 2017 से पहले चालू की गई पवन परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीई) योजना उपलब्ध थी । जैसा कि ऊपर बताया गया है कि राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहनों के अलावा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई के माध्यम से पवन संसाधन आंकलन और संभावित स्थलों की पहचान सहित तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ।

(घ) सरकार ने ग्रिड संबद् पवन और सौर विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं । दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी ई-रिवर्स नीलामी के बाद निर्धारित प्रशुल्क पर पवन और सौर परियोजनाएं प्रदान की जाती है । पवन और सौर विद्युत के लिए सबसे कम प्रशुल्क दर क्रमश: 2.43 रूपए प्रति यूनिट और 2.44 रूपए प्रति यूनिट हैं ।

पवन और सौर के माध्यम से उत्पन्न विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्च 2022 तक चालू की जाने वाली पवन और सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क और उससे होने वाले नुकसान की माफी के आदश जारी किए गए हैं । इसके अलावा पवन और सौर विद्युत परियोजनाओं को "मस्ट रन" परियोजनाओं का दर्जा प्रदान किया गया है ।

***